International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 41-43

गङ्गे तव दर्शनात् मुक्तिः

डॉ0 अशोक कुमार दुबे
एसोशिएट प्रोफेसर–संस्कृत, बी0एस0एन0वी0पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

गंगा युगों–युगों से पतित पावनी है। मोक्षदायिनी हैं।सनातन काल से गंगा के प्रति भारतीय जनमानस की आस्था कितनी गहरी रही है कि गंगा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाने का जनमानस को विश्वास रहा है, इसीलिए कहा गया है –'गंगे तव दर्शनात् मुक्तिः'। भारतीय संस्कृति में गंगा मात्र एक जलवाहिनी नदी का नाम नहीं है अपितु यह भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना की केन्द्र बिन्दु हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 10 के श्लोक 31 में भगवान कृष्ण ने स्वयं को गंगा का रूप बताते हुए कहा है :

''पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी''[1]

जिसका तात्पर्य है कि मैं संसार के समस्त पदार्थों को पवित्र करने वाले पदार्थों में वायु हूँ, शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं में राम हूँ, जल में निवास करने वाले जल–जीवों अथवा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ।

इस प्रकार भारतीय शास्त्रीय अवधारणा में गंगा स्वयं परम्ब्रम्ह का जीवन्त स्वरूप हैं और इसीलिए वन्दनीय हैं। भारतीय शास्त्रों में गंगा विविध नामों से जानी जाती हैं जिनमें से उनके कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं–सुरसरि, जान्ह्वी, भागीरथी, नदीश्वरी, आपगा, देवपगा, विष्णुपगा, स्वर्गापगा, विपथगा, सुरापगा, त्रिपथगा, देवगंगा, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, प्लाक्षा,सुरधनी, विवुधा, पुण्यतोया, ध्रुवनन्दा, पुण्यसलिला, पाप–नाशिनी, मोक्षप्रदायिनी,सरितश्रेष्ठा आदि। स्वर्गलोक में गंगा 'अलकनन्दा' के नाम से, पृथ्वीलोक में 'भागीरथी अथवा जान्ह्वी' के नाम से तथा पाताललोक में 'अधोगंगा अथवा पातालगंगा' के नाम से जानी जाती हैं । पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा सगर के साठ हजार पुत्र (प्रजा) भयानक सूखा पड़ने से जल के अभाव में मर गये तब भगीरथ द्वारा अपने अभियन्त्रण (Engineering) के ज्ञान तथा कठिन परिश्रम से हिमालय पर्वत की कठोर चट्टानों को काटकर गंगा को गोमुख से मैदानों की ओर लाये जाने का मार्ग निर्मित किया गया जिससे होकर गंगा अनादि काल से बहती चली आ रही है। भारत में गंगा सहित कई अन्य बड़ी नदियों को पूज्य और जीवनदायिनी मानते हुए उनकी वन्दना इस प्रकार की गयी है :

''ऊँ गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मवन्ती वेदिका।
क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गण्डकी, पुण्याः पुण्यजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु नो मंगलम्।[2]

गंगा के तट पर धर्म, दर्शन एवं संस्कृति पर सदैव से गहन शोध और विमर्श होता रहा है। प्रयाग का महत्त्व वस्तुतः पवित्र गंगा नदी के ही कारण अनादि काल से रहा है । प्रयाग में गंगा एवं यमुना के संगम पर कुम्भ, महाकुम्भ तथा प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले में हजारों साधु, संत, महात्मा, स्वामी, सन्यासी आकर एक माह से भी अधिक समय तक कठोर जाड़े में वास करते हैं और धर्म, अध्यात्म सहित विविध सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर कथा, वार्ता एवं विमर्श करते हैं जिससे यहाँ आने वाले सामान्य जनमानस का भी इन क्षेत्रों में मार्गदर्शन होता है । रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रयाग के संगम तट पर प्रतिवर्ष होने वाले धार्मिक–आध्यात्मिक विमर्श के महत्त्व का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा है :

''को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुन्ज कुन्जर मृग राऊ ।
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ।
माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथपतिहिं आव सब कोई ।
देव दनुज किन्नर नर श्रेनी, सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी ।
यहि प्रकार भरि माघ नहाहीं, पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं।
प्रति सम्वत अति होइ अनन्दा, मकर मज्जि गवनहिं मुनि बृन्दा ।
एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए।''[3]

प्रसिद्ध संस्कृत कवि पण्डितराज जगन्नाथ ने भी 'गंगा लहरी' नामक काव्य की रचना करके गंगा के माहात्म्य का वर्णन किया है।

संत रविदास ने जनमानस को अन्तर्मन से पवित्र रहने का उपदेश देते हुए :

''आपन मन चंगा तो कठौती में गंगा'' कहा है जिसका तात्पर्य है कि यदि मनुष्य मन से पवित्र हो तो उसे कठौती (लकड़ी का बना हुआ पात्र) में भी पवित्र गंगा ही दिखायी देगी। संत रविदास के अनुसार आन्तरिक पवित्रता व्यक्ति की बाह्य पवित्रता से श्रेष्ठ है । जनमानस की आस्था के अनुसार पवित्र गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । संत रविदास के अनुसार पाप का परिमार्जन गंगा में स्नान करने के बजाय अन्तर्मन के परिमार्जन एवं शुद्धीकरण से ही संभव है । वर्तमान समय में जब गंगा सहित समस्त नदियों के जल–प्रदूषण की समस्या भयावह हो चली है तो ऐसे में रविदास जैसे महान संतों का यह उपदेश गंगा सहित अन्य नदियों के जल शुद्धीकरण की दृष्टि से बड़े महत्व का हो जाता है । पापों से मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करके गंगाजल को अशुद्ध व अपेय बनाने के बजाय पवित्र गंगा का दर्शन करते हुए उनके प्रति श्रद्धापूर्वक नमन करने से और अपने अन्तःकरण में गंगाजल जैसी शुद्धता व निर्मलता धारण करने से निश्चित रूप से पापों एवं दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल सकती है । इस दृष्टि से जनमानस को जागरूक करने का पुनीत कार्य धर्माचार्यों,कथाकारों, धर्मोपदेशकों आदि द्वारा यदि प्रारम्भ किया जावे तो इससे गंगा को प्रदूषणमुक्त, विषाणुमुक्त, कीटाणुमुक्त बनाने में बड़ी सहायता मिल सकती है

और गंगाजल को विशुद्ध एवं पेयजल के रूप में बनाये रखा जा सकता है । गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा की लम्बाई 2,525 किलोमीटर होना कही जाती है । उत्तर भारत के कई बड़े नगर गंगा तट पर ही बसे हुए हैं । गंगा के मार्ग के दोनों ओर पड़ने वाले दूर–दूर तक के भू–क्षेत्रों में कृषि आदि कार्यों में भी गंगा का अतीव महत्त्व रहा है और इस प्रकार गंगा जीविकोपार्जन की भी साधन रही हैं। आज के औद्योगिक समय में विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले घातक रसायनों आदि से गंगाजल तेजी से अपेय होता जा रहा है । आने वाले समय में बढ़ती हुई आबादी को पेयजल उपलब्ध करा पाना एक बड़ी चुनौती होगी । तमाम सरकारी प्रयत्नों और योजनाओं के बाद भी गंगा का प्रदूषण कम नहीं हुआ है । अतएव औद्योगिक रसायनों एवं कचरों आदि को गंगा में मिलने से रोका जाना गंगाजल के विशुद्धीकरण की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है परन्तु औद्योगिक कचरे व रसायन ही गंगाजल के प्रदूषण के लिए एकमात्र कारण नहीं हैं अपितु गंगा प्रदूषण के कई अन्य कारण भी हैं । गंगा के प्रदूषण के साथ–साथ अन्य नदियों एवं जलाशयों के जल प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारणों, उनके निवारण के उपायों तथा इस निमित्त वर्तमान में उपलब्ध विधियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

1) हिन्दुओं में बहुत से सम्पन्न व्यक्ति भी अपनी सदियों पुरानी परम्परा के अनुसार अपने मृतकों के शवों को इस विश्वास के साथ गंगा जैसी बड़ी व पवित्र मानी जाने वाली नदियों में प्रवाहित कर देते हैं कि इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को पुण्य/शान्ति प्राप्त हो सकेगी। हिन्दूधर्म की मान्यता के अनुसार अविवाहित व्यक्तियों के शव भी बहुधा गंगा नदी सहित अन्य स्थानीय नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं ।
2) मृत बच्चों/अवयस्क व्यक्तियों के शव भी जलाये नहीं जाते हैं अपितु गंगा नदी व अन्य स्थानीय नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं ।
3) हिन्दू धर्म की कुछ जातियों में महिलाओं के शव नहीं जलाते हैं अपितु नदियों में प्रवाहित कर दिये जाते हैं ।
4) ऐसे गरीब व्यक्ति जो लकड़ी आदि का व्यय नहीं वहन कर पाते हैं अपने मृतकों के शव नदियों में प्रवाहित कर देते हैं ।
5) बहुत से स्वामी व सन्यासियों के शव चिता पर नहीं जलाये जाते हैं अपितु उन्हें लकड़ी के बाक्स में रखकर नदियों में जल–समाधि दे दी जाती है ।
6) हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार चिता पर जलाये जाने वाले शवों का दशमांश बचा कर इस विश्वास से नदियों में डाल दिया जाता है ताकि मछली व कछुए आदि जैसे जल–जन्तुओं द्वारा उसे खा लिया जावे और इससे मृत आत्मा को पुण्य/शान्ति प्राप्त होती है ।
7) पंचक काल में मरे हुए हिन्दुओं में से कई लोग अपने मृतक का शव चिता पर नहीं जलाते हैं अपितु गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देते हैं ।
8) मृत हिन्दुओं के शवों को गंगा आदि जैसी पवित्र नदियों के तट पर चिता पर जलाये जाने के बाद अवशिष्ट राख व लकड़ी आदि भी गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है जिससे जल प्रदूषित होता है ।
9) सर्प–दंश से मरे हुए हिन्दुओं के शवों को चिता पर नहीं जलाया जाता है अपितु नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है।
10) मृत हिन्दुओं के शवों के अलावॉ लोग अपने पालतू जानवरों जैसे : कुत्ता व बिल्ली आदि के शवों को भी इस विश्वास के साथ गंगा जैसी पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देते हैं कि इससे मृत पालतू पशु की आत्मा को पुण्य/शान्ति प्राप्त हो सकेगी ।
11) कई महानगर जहां से होकर गंगा बहती है में श्मशान घाटों के पास इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस से भी शव जलाये जाते हैं परन्तु इसे बहुत कम लोग प्राथमिकता देते हैं क्योंकि चली आ रही परम्परा व विश्वास के कारण लकड़ी की चिता पर शव को जलाया जानाउअपेक्षाकृत अधिक धर्मसम्मत व शास्त्रसम्मत माना जाता है ।
12) शवों को इलेक्ट्रिकल फर्नेस पर जलाये जाने के लिए लगायी गयी इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस बहुधा खराब रहती हैं अथवा बिजली के अभाव में काम नहीं करती हैं जिसके कारण कम खर्च में शवों को जलाने की आशा में आने वाले लोग भी अपने मृतकों के शव को गंगा जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं ।
13) लावारिस में पाई गई लाशों को स्वयं पुलिस जनों द्वारा प्रायः आस–पास की नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है ।
14) दुर्घटना आदि में मृत/लावारिस शवों के निस्तारण के लिए सरकारों की ओर से दी जाने वाली धनराशि लकड़ी की चिता पर जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है और बहुधा पुलिसजन ऐसे शवों को नदियों में विशेष कर नदियों पर बने पुल के ऊपर से नदी में डाल देते हैं ।
15) कई बड़े महानगरों में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं समाज सेवा की दृष्टि से उपलब्ध हैं जो मृतक की धार्मिक परम्परा के अनुसार शवों के निस्तारण में आने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करती हैं और उनका अन्तिम संस्कार स्वयं सुनिश्चित करती हैं परन्तु अज्ञानतावश एवं जागरूकता के अभाव में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता शवों को जलाने आदि में बहुत से गरीब लोग नहीं ले पाते हैं और शव को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं ।
16) शवों को नदियों में डालने के बाद कई बार शव उथले पानी में नदियों के किनारे बह कर आ जाते हैं जिन्हें मांसभोजी पशु जैसे कुत्ते व सियार आदि नोच–नोच कर खा जाते हैं जो मानव गरिमा के पूरी तरह विपरीत है ।
17) भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन जीने के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है जिसमें मृत्यु के उपरान्त शव को गरिमापूर्ण ढंग से निस्तारित किये जाने अथवा अन्तिम संस्कार का भी अधिकार समाहित है । परन्तु नदियों में शव प्रवाहित कर देने से और तदुपरान्त शव को मांसभोजी पशुओं जैसे कुत्ता आदि द्वारा घसीटने व नोच–नोच कर खाने से मानव गरिमा का उल्लंघन होता है ।
18) मृत्यु उपरान्त मानव शव को मांसभोजी जानवरों द्वारा घसीटा जाना व नोच–नोच कर खाया जाना मानव गरिमा के न केवल विरुद्ध है अपितु संसद द्वारा बनाये गये ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993'' की भावना व प्रावधानों के भी विरुद्ध है ।
19) नदियों में शव प्रवाहित करके जल को अपेय व प्रदूषित करना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है ।
20) नदियों में शव प्रवाहित करके जल को अपेय व प्रदूषित करना जल (प्रदूषण का निषेध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है ।
21) नदियों में शव प्रवाहित करके जल को अपेय व प्रदूषित करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 277 सपठित धारा 290 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की कोटि में आता है।
22) नदियों में शव प्रवाहित करके जन सामान्य के स्वास्थ्य को

हानि पहुॅचाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कवर नहीं होता है ।

23) सदियों से नदियों में मानव शवों को प्रवाहित किये जाने की परम्परा को रोकने में जन सामान्य को जागरूक करने और जन–चेतना का प्रसार करने में धर्माचार्यों, पुरोहितों, समाजसेवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों आदि की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है ।
24) नदियों में शव प्रवाहित किये जाने के विरुद्ध तमाम सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर अपना अमूल्य योगदान दिया जा सकता है ।
25) संसद और राज्यों के विधान मण्डल उपयुक्त कानून बनाकर नदियों में शव आदि प्रवाहित करके उन्हें अपेय व प्रदूषित करने के कृत्य को दण्डनीय अपराध घोषित कर सकते हैं ।
26) स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच समाजसेवी संगठनों आदि द्वारा जागरूकता फैलाकर नदियों में शवों को प्रवाहित किये जाने की परम्परा को धीरे–धीरे समाप्त किया जा सकता है ।
27) स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि के पाठ्यक्रमों में शवों को नदियों में प्रवाहित किये जाने के विरुद्ध पाठ्यक्रम जोड़कर विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को जागरूक किया जा सकता है ।

नदियों एवं जलाशयों के प्रदूषण की समस्या हर बीतते वर्ष के साथ भयावह होती जा रही है । जल को जीवन का पर्याय माना जाता है, इसीलिए 'जल ही जीवन है' कहा जाता है । पृथ्वी पर मानवों सहित जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों का अस्तित्व जल के ही कारण है। प्रदूषित जल से मरने वालों की संख्या किसी भी घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं कारखानों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषणों व रसायनों से गंगा सहित समस्त नदियॉ, जलाशय एवं भू–गर्भ संचित जल लगातार प्रदूषित होकर अपेय व अनुपयुक्त होते जा रहे हैं। सहस्रों वर्षों से चले आ रहे कतिपय धार्मिक विश्वास व सामाजिक मान्यताएं, अपूर्ण व कमजोर विधियॉ, उपलब्ध विधिक प्रावधानों के सम्यक् अनुपालन का अभाव, जन–मानस में नदियों आदि की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव आदि बहुत से ऐसे कारण विद्यमान हैं जिनका निदान किया जाना एवं प्रचलित धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। समस्या के समाधान हेतु व्यापक जन–जागरण किया जाना भी आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. श्रीमद्भगवद्गीता – अध्याय 10 – गीता प्रेस, गोरखपुर।
2. गंगा लहरी – पण्डितराज जगन्नाथ।
3. रामचरितमानस – गोस्वामी तुलसीदास।